न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी
जगदीश आर्य
(आर0ए0एस0)

मु0नं0 दावा 58/2015

तारीख रजू 15.07.2015

उनवान

1. रामकुवार उम्र 90 वर्ष पुत्र श्री गैदा (मृतक)
1/1 कलावती पत्नी स्व0 रामकुवार
1/2. रूपसिंह पुत्र रामकुवार
1/3. जनकसिंह पुत्र रामकुवार
1/4. हंसराम पुत्र रामकुवार
1/5. किशनलाल पुत्र रामकुवार
1/6. किरण पुत्री रामकुवार

समस्त जाति चौबदार निवासी मातासूला तहसील टोडाभीम जिला करौली

—वादीगण

विरूद्ध

1. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली (लैण्ड हॉल्डर)
2. रामकिशन पुत्र गंगासहाय जाति बैरवा निवासी नोरंगाबाद तहसील महवा जिला दौसा —प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरार हक व इन्द्राज दुरस्ती रिकार्ड जमाबंदी
अन्तर्गत धारा 88,188 राज0टे0एक्ट

उपस्थिति — श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट —वादीगण

उपस्थिति — एकतरफा कार्यवाही — प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक 24.10.2017**

वादी ने यह वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि भूमि हॉल खसरा नं0 1683 क्षेत्रफल 0.11 हेक्टयर ग्राम मातासूला तहसील टोडाभीम मे स्थित है इस भूमि की हॉल रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे खातेदारी वादी के नाम दर्ज है। भूमि हॉल खसरा नं0 1697 क्षेत्रफल 0.15 हेक्टयर ग्राम मातासूला तहसील टोडाभीम मे स्थित है इस भूमि की हॉल रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे खातेदारी प्रतिवादी नं0 2 रामकिशन के नाम दर्ज है। भूमि वर्णित मद नं0 1, 2 के गत खसरा नं0 853 से कायम हुये है गत खसरा नं0 853 मे से रकवा 6

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

Scanned by CamScanner

वीघा वादी के पिता रामकुवार को राज्य सरकार द्वारा अलोटमेन्ट हुई थी तथा गैरखातेदारी से खातेदारी मे तब्दील हो गई है, वादी का अलोटमेन्ट के समय से ही रकवा 6 वीघा पर मौके पर कब्जा था तथा एक ही स्थान पर यह 6 वीघा भूमि अलोटमेन्ट हुई थी वादी अपनी 6 वीघा भूमि पर अलोटमेन्ट के समय से आज तक बहैसियत मालिक काविज चला आ रहा है टोडाभीम तहसील मे भूप्रबंध का कार्य हुआ था, भूप्रबंध विभाग ने वादी के नाम हॉल खसरा नं0 1683, 1691, 1692, 1696 कुल रकवा 1.53 हेक्टयर खातेदारी मे दे दिये है लेकिन हॉल खसरा नं0 1683 गलत दिया है इसके स्थान पर हॉल खसरा नं0 1697 होना चाहिये तथा इसी नम्वर पर वादी काविज है तथा यह नम्बर वादी की अन्य खातेदारी के खेतो के पास है तथा मिला हुआ है जो नक्शाशीट मे स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, भूप्रबंध विभाग ने हॉल खसरा नं0 1683 को वादी के नाम गलत खातेदारी मे डाल दिया है यह खसरा नं0 वादी की भूमि से काफी दूर है जो हॉल ट्रेस मे स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है वादी का हॉल खसरा नं0 1697 पर ही अलोटमेन्ट के समय से आज तक कब्जा है भूप्रबंध विभाग की यह एक क्लैरिकल मिस्टेक है। यह वादपत्र इसी संबंध मे पेश किया गया है, वादी अशिक्षित काश्तकार आदमी है तथा भूप्रबंध विभाग की इस क्लैरिकल मिस्टेक की जानकारी नही हो पाई थी, वादी पटवारी हल्का के पास दिनांक 18.05.2015 को रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी की नकल लेने गया तब जानकारी हुई तब वादी ने तहसीलदार टोडाभीम से दिनांक 02.07.2015 को निवेदन किया कि हमारे नाम रिकार्ड मे दुरस्ती कर दो इस पर उन्होने कहा कि उपजिला कलेक्टर टोडाभीम मे दावा पेश करो तभी तुम्हारे नाम रिकार्ड मे दुरस्ती हो सकती है।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर सम्मन प्रतिवादीगण जारी किये गये। प्रतिवादी नं0 2 बावजूद तामील उपस्थित नही हुआ, प्रतिवादी नं0 1 की तरफ से जबावदावा प्रस्तुत हुआ। वादी ने अपने दस्तावेजी सबूत मे नकल जमाबंदी संवत 2068 से 2071, नकल मिलान क्षेत्रफल 2043 से 2062, नकल हाल व गत ट्रेस की प्रस्तुत की है। मुकदमा के निर्णय के लिये मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का से तलब की गई जो शामिल पत्रावली है। दौराने बहस वादी के वकील ने कहा कि मुताबिक दावा वादी का दावा डिग्रि कर दिया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व वकील वादी की बहस सुनी। साविक खसरा नं0 853 से नवीन खसरा नं0 1683, 1691, 1692, 1696 बनाये गये है, खसरा नं0 1691, 1692, 1696 एक साथ है तथा खसरा नं0 1697 इन खसरा नम्बरो के साथ लगवा है जवकि खसरा नं0 1683 बहुत दूर दर्शाया गया है। वादीगण के पिता रामकुवार को भूमि का आवंटन साबिक खसरा नं0 1853 एक ही स्थान पर था, रकवा मे कोई भी अन्तर भूप्रबंध विभाग द्वारा नही दर्शाया गया है। खसरा नं0 1697 रकवा 0.15 हेक्टयर मे से 0.11 हेक्टयर रकवा खसरा नं0 1696 की तरफ का वादीगण को खातेदार काश्तकार इन्द्राज

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

Scanned by CamScanner

दुरस्ती करते हुये घोषित किया जाना न्यायोचित है। दावा वादीगण काबिले डिग्रि पाया जाता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इन्द्राज दुरस्ती डिग्रि किया जाकर ग्राम मातासूला का खसरा नं0 1697 रकवा 0.15 हेक्टयर स्थित ग्राम मातासूला मे से 0.11 हेक्टयर रकवा खसरा नं0 1696 की तरफ का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खसरा नं0 1697 का रकवा 0.04 हेक्टयर भूमि सिवायचक घोषित की जाती है तथा खसरा नं0 1683 रकवा 0.11 हेक्टयर का प्रतिवादी नं0 2 रामकिशन पुत्र गंगासहाय जाति बैरवा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोडाभीम को आदेश प्रदान किया जाता है कि उपरोक्तानुसार रेवन्यू रिकार्ड मे अमल करे। तथा उपरोक्तानुसार पर्चा फाईनल डिग्रि जारी हो। नम्बरान ट्रेस मे तरमीम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०